

**बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु  
जाँच पत्र**

बीज (नियंत्रण) 1983 की धारा (1) और 7 (2) के अनुसार बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात करने हेतु नवीकरण की शर्तें—

Online आवेदन समर्पित करने हेतु आवश्यक कागजात का विवरण	पृष्ठ सं०	स्थिति
<p>1. बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन Online उपलब्ध प्रपत्र में सभी आवश्यक सूचनाओं को अंकित करना अनिवार्य है।</p> <p>2. कम्पनी/प्रतिष्ठान से Authorisation Certificate एवं आवेदक के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/भोटर कार्ड/पैन कार्ड की प्रति देना अनिवार्य है।</p> <p>3. नवीकरण शुल्क ₹ 500/- (पांच सौ रुपये) कोषागार चालान के रूप में)</p> <p>4. विलंब शुल्क—यदि अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि के पूर्व आवेदन समर्पित नहीं किया जाता हो तो एक माह के अंदर 500 (पांच सौ रुपये) विलंब शुल्क सहित आवेदन स्वीकार्य होगा।</p> <p>5. नवीकरण आवेदन के साथ विगत 1 वर्ष का बिक्री प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराने का साक्ष्य संलग्न करना होगा।</p> <p>6. स्वयं के विकसित/MOU के माध्यम से बिक्री किये जाने वाले धान एवं मक्का के हाइब्रीड प्रभेदों का DNA Finger Printing Lab के माध्यम से Standardization कराना अनिवार्य होगा।</p> <p>7. शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य है। जिसमें निम्न बिन्दुओं को शपथ पत्र में अंकित करना होगा—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. मेरे प्रतिष्ठान के विरुद्ध विगत तीन वर्षों के अन्दर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (10 का 1955) के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं किया गया है।</li> <li>ii. मेरे प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति पूर्व में विगत एक वर्ष के अन्दर निलम्बन में नहीं रहा है।</li> <li>iii. मेरे प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति विगत एक वर्ष के अन्दर रद्द नहीं किया गया है।</li> <li>iv. मेरे प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति अवधि में व्यवसाय किये गये बीज का कोई नमूना अमानक नहीं पाया गया है।</li> <li>v. शपथ पत्र में इस बात का भी उल्लेख रहेगा कि प्रतिष्ठान द्वारा अनुज्ञप्ति में दी गयी सभी शर्तों का पालन किया गया है।</li> <li>vi. प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रब्बी मौसम समाप्ति के उपरान्त अंतिम बिक्री प्रतिवेदन समर्पित करूँगा।</li> <li>vii. अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न बीज प्रभेदों के अलावे अन्य किसी प्रकार के बीजों का व्यवसाय नहीं करूँगा।</li> </ul>		

<p>viii. प्रतिष्ठान के द्वारा बिक्री किए गए बीज में किसी प्रकार की खराबी आती है तो इसके लिए प्रतिष्ठान जबावदेह होगा तथा जाँचोपरान्त दोषी सिद्ध होने की स्थिति में किसानों को खराब बीज आपूर्ति के कारण हुए नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के लिए तैयार रहेगा।</p> <p>ix. बीज अधिनियम में निहित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।</p> <p>x. वांछनीय उपरोक्त सभी कागजात अपलोड का स्व-अभिप्रमाणित कर डाक/हाथो-हाथ जमा करा दिया गया है। अपूर्ण/गलत कागजात उपलब्ध कराने पर बिना कारण पुछे ही आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।</p> <p>8. आवेदन के साथ अपलोड उपरोक्त सभी वांछनीय कागजातों का Hard Copy प्रतिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वप्रमाणित कर डाक/हाथो-हाथो एक सप्ताह के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गत कर्ता के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।</p> <p><b>औपबंधिक शर्त-</b></p> <p>स्थल जाँच-बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु व्यवसाय के कार्यालय एवं गोदाम का स्थल जाँच जिला कृषि पदाधिकारी/अन्य घोषित बीज निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन।</p>		
--	--	--

सहायक  
प्रशाखा-9

प्रशाखा पदा०  
प्रशाखा-9

उ०नि०(शथ्य) बीज  
बिहार, पटना

सं०क०नि०(उपा०)  
बिहार, पटना

कृषि निदेशक  
बिहार, पटना